झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/04/18 – 61 ,राँची/दिनांकः 26 /07/2018

डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2018 {Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) - 2018} के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)– 2018 के परीक्षाफल के आधार पर पर्षद द्वारा दिनांक 13.07.2018 एवं दिनांक 15.07.2018 को आयोजित प्रथम् साक्षात्कार में नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन के उपरांत रिक्त बचे सीटों पर नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त पर्षद द्वारा दिनांक 03.08.2018 को द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार, Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संस्थानवार/शाखावार /कोटिवार/कोटावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट **http://jceceb.jharkhand. gov.in** के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरान्त संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर संस्थान/ शाखा/सीट का चयन नहीं किये हैं।

2. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवंटित संस्थान/ शाखा/सीट के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण–पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं तथा संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान/ शाखा/सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

3. साक्षात्कार हेतु कंडिका–11 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/शाखा/सीट का आबंटन किया जायेगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र

(ग) डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)–2018 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् दृष्टया प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति}, (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil) } या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र (ङ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) (च) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (छ) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल प्रमुख द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र तथा पूरे शरीर का एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण–पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/शाखा/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

नोट (a) :– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् दृष्टया प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् दृष्टया प्रतिवेदन (F.I.R.) मान्य नहीं होगा।

4. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक है।**

5. नि:शुल्क शिक्षा योजना–**(क)** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा सभी संस्थानों के शाखावार स्वीकृत सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उक्त आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र, साक्षात्कार के समय, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभातशिप (AICTE) के प्रावधानानुसार सभी श्रोतों से अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा रू0 6 लाख किया गया है। **नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत कर्णांकित सीटों पर आबंटन संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के**

दिन ही मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा। इन सीटों का कोटि/कोटावार आरक्षण से कोई संबंध नहीं है।

(ख) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थान के Free Seats में नामांकन हेतु अनुशंसित **बालिकाओं** को राज्य सरकार द्वारा **निःशुल्क** तकनीकी शिक्षा प्रदान की जायेगी (संदर्भ–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, राँची द्वारा ज्ञापांक–2085 दिनांक–17.10.2014 के माध्यम से निर्गत संकल्प)।

6. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास **ATM/Debit Card** साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं0 एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

नोट (b) :– साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

7. सीट आबंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि :–अभ्यर्थियों से संस्थान में शाखा अंतर्गत सीट आबंटन कराने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क के रूप में ₹ 1,000/– की राशि निम्न प्रकार से ली जायेगी :–

क) आंशिक नामांकन शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास **ATM/Debit Card** साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) के माध्यम से जो "Controller of Examination, JCECEB" के पदनाम से देय तथा Ranchi में भुगतेय होना चाहिए।

नोट (c):– आंशिक नामांकन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें संस्थान, शाखा एवं सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा जिसके लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। यह शुल्क, साक्षात्कार शुल्क के अतिरिक्त होगा।

नोट (d) :– यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन के उपरान्त, निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है या नामांकन के उपरान्त नामांकन वापस (Admission Withdraw) करा लिया जाता है तो, यह राशि पर्षद द्वारा ग्रहित (Seize) कर ली जायेगी।

पर्षद द्वारा आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त, अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लेने एवं संबंधित संस्थान द्वारा नामांकन की संपुष्टि के आलोक में यह राशि अभ्यर्थी के नामांकन शुल्क मद में सामंजन हेतु अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को भेज दी जायेगी।

8. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

9. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

10. दिनांक 03.08.2018 को साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC–I/BC-II/MCQ, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/शाखाओं/सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित संस्थानों/शाखाओं/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

11. राजकीय, गैर राजकीय एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के तृतीय सेमेस्टर/ द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जायेगी :–

PH/Primitive Tribal Group Rank (दिव्यांग/आदिम जन–जाति समूह मेधाक्रमानुसार)

Sl. No.	Category/ Quota	Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1	PH	Candidates of all Disability Sub-Group (except "D")		03.08.2018 / 10.00 AM
2	Primitive Tribal Group	All Primitive Tribal Group Candidates		03.08.2018 / 10.30 AM

CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार)

CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	900	03.08.2018/11:00 AM	901	1,861	03.08.2018 / 01:00 PM

12. साक्षात्कार संबंधी आवश्यक निर्देश एवं सूचना :–

क) प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/शाखा/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

ख) साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

ग) जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते है कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

घ) साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाकमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाकमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान ही सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/शाखाओं/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

ङ) अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/शाखा/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

च) किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

छ) साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु अधिकृत वेबसाईट और दूरभाष सं॰ 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/04/18 – 539 ,राँची/दिनांक:26/07/2018

प्रतिलिपि:–

परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/7/18

परीक्षा नियंत्रक